

न्यायालय — पंकज शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद, जिला भिण्ड, म.प्र.

(आप.प्र.क.क. : - 885/2015)

(संस्थित दिनांक :- 16/11/15)

म.प्र.राज्य,

द्वारा आरक्षी केन्द्र :- मालनपुर

जिला-भिण्ड, म.प्र.

..... अभियोजन

/// विरुद्ध ///

01. अशोक कुमार पुत्र रामनरेश यादव उम्र 24 वर्ष
निवासी :- माली, थाना-सैफई, जिला-इटावा, (उ.प्र.)।

..... अभियुक्त।

/// निर्णय ///

(आज दिनांक :- 11/11/2016 को घोषित)

01. आरोपी अशोक पर धारा 304 ए भा.द.सं. के अन्तर्गत आरोप है कि उसने दिनांक :- 08/11/2015 की सुबह लगभग 07:10 बजे हरीनारायण शर्मा के घर के सामने ग्वालियर रोड़ मालनपुर पर, उसके आधिपत्य के वाहन ट्रोला क्रमांक एम.पी. 07/एच.बी./4107 को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर मृतक मलखान सिंह की ऐसी मृत्यु कारित की, जो आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आती है।

02. प्रकरण में कोई सारवान निर्विवादित तथ्य नहीं हैं।

03. अभियोजन कथा संक्षिप्त में इस प्रकार है कि दिनांक 08/11/2015 की सुबह लगभग 07:10 बजे हरीनारायण शर्मा के घर के सामने ग्वालियर रोड़ मालनपुर पर, वाहन ट्रोला क्रमांक एम.पी.07/एच.बी./4107 के चालक द्वारा उक्त वाहन को तेजी एवं लापरवाही से चलाकर मलखान सिंह को टक्कर मारकर उसकी मृत्यु कारित करने की मौखिक रिपोर्ट फरियादी संजय द्वारा थाना मालनपुर पर उसी दिनांक को की जाने पर, थाना मालनपुर में वाहन ट्रोला क्रमांक एम.पी.07/एच.बी./4107 के चालक के विरुद्ध अपराध क्रमांक 183/2015 अन्तर्गत धारा 304 ए भा.द.सं. पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। विवेचना के दौरान फरियादी संजय की निशानदेही पर घटनास्थल का नक्शा-मौका बनाया गया। आरोपी से ट्रोला क्रमांक एम.पी.07/एच.बी./4107 को जब्त कर जब्ती पंचनामा बनाया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा बनाया गया। जब्तशुदा वाहन का यांत्रिक परीक्षण कराया गया। जब्तशुदा वाहन के पंजीकृत स्वामी का प्रमाणीकरण लेखबद्ध किया गया। फरियादी संजय सिंह, साक्षीगण दीवान सिंह, मोनू, मेहरवान सिंह एवं गब्बर उर्फ सचिन के कथन लेखबद्ध किए गये। तदोपरांत विवेचनापूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

04. अभियुक्त अशोक के विरुद्ध धारा 304 ए भा.द.सं. के आरोप विरचित कर पढ़कर सुनाये, समझाये जाने पर अभियुक्त ने अपराध करना अस्वीकार किया। अभियुक्त का अभिवाक् अंकित किया गया।

05. अभियोजन साक्ष्य में अभियुक्त के विरुद्ध प्रकट हुए तथ्यों के संदर्भ में उसका धारा 313 दं.प्र.सं. के अन्तर्गत परीक्षण किये जाने पर उसने अभियोजन साक्ष्य में प्रकट हुए तथ्यों के सत्य होने से इंकार करते हुए बचाव में स्वयं को निर्दोष होना तथा झूठा फंसाया जाना व्यक्त किया।

06. न्यायिक विनिश्चय हेतु प्रकरण में मुख्य विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित हैं:-

01. क्या आरोपी अशोक ने दिनांक :- 08/11/2015 की सुबह लगभग 07:10 बजे हरीनारायण शर्मा के घर के सामने ग्वालियर रोड़ मालनपुर पर, उसके आधिपत्य के वाहन ट्रौला क्रमांक एम.पी.07/एच.बी./4107 को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर मृतक मलखान सिंह की ऐसी मृत्यु कारित की, जो आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आती है?

02. अंतिम निष्कर्ष?

सकारण व्याख्या एवं निष्कर्ष

07. फरियादी संजय अ.सा.02 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि घटना उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य दिनांक : 22/07/2016 से लगभग आठ-नौ माह पूर्व की होकर सुबह 07 बजे की है। साक्षी आगे कहता है कि उसके चाचा का लड़का मलखान साईकिल से ड्यूटी करके बरेठा अपने घर वापस आ रहा था। तभी मालनपुर थाने के आगे एक ट्रौला क्रमांक एम.पी.07/एच.बी./4107 के चालक ने तेजी एवं लापरवाही से चलाकर उसके चचेरे भाई मलखान की साईकिल में टक्कर मार दी, जिससे मलखान वहीं गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई थी। साक्षी आगे कहता है कि दुर्घटनाकारित करने वाला वाहन चालक अपने वाहन को ग्वालियर की तरफ भगाकर ले गया था। वह दुर्घटनाकारित करने वाले वाहन चालक को सामने आने पर पहचान सकता है। साक्षी को मुल्जिम के कटघरे में अन्य व्यक्तियों के साथ खड़े आरोपी को दिखाकर पूछे जाने पर कि इनमें से आरोपी कौन सा है, साक्षी द्वारा कटघरे में खड़े एक अन्य व्यक्ति कल्याण सिंह को घटना का आरोपी चालक होना दर्शित किया गया। साक्षी आगे कहता है कि घटना की रिपोर्ट उसने पुलिस थाना मालनपुर में की थी, जो प्र.पी.02 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने घटनास्थल का नक्शा-मौका प्र.पी.03 बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने इस संबंध में उससे पूछताछ कर उसका बयान लिया था।

08. प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 04 में संजय अ.सा.02 का कहना है कि मृतक मलखान उसका गांव के रिश्ते में भाई लगता है। मलखान शाम 06 बजे से सुबह 06 बजे तक किसी फैक्ट्री में ड्यूटी करता था और वह उसे घटना के दिन मालनपुर चौराहा पर सुबह 07 बजे मिला था। साक्षी आगे कहता है कि वह मृतक मलखान से मुलाकात करने के बाद पंडित हरनारायण शर्मा के घर के सामने एक ग्राम सोहली के रहने वाले लड़के से मिलने के लिए रुक गया था, दुर्घटना हरनारायण शर्मा के घर के सामने हुई थी। मृतक मलखान को ब्रेकर के ठीक बगल से ही चोट आई थी और वह ब्रेकर से दस-पन्द्रह कदम की दूरी पर खड़ा था। साक्षी संजय अ.सा.02 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में दुर्घटनाकारित करने वाले ट्रौला क्रमांक एम.पी.07/एच.बी./4107 के दुर्घटना के समय आरोपी अशोक द्वारा चलाये जा रहे होने के संबंध में और आरोपी अशोक की पहचान के संबंध में कोई तथ्य प्रकट नहीं हुये है। बल्कि वह न्यायालय में उपस्थित एक अन्य व्यक्ति कल्याण सिंह को दुर्घटनाकारित करने वाले चालक के रूप में पहचान रहा है। जबकि अभियोजन द्वारा उक्त व्यक्ति कल्याण सिंह के विरुद्ध कोई अभियोग पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसलिए अभियोजन को आरोपित अपराध के संबंध में साक्षी संजय अ.सा.02 की साक्ष्य का कोई लाभ प्रदान नहीं किया जा सकता।

09. अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी साक्षी मेहरवान सिंह अ.सा.03 एवं सचिन राजपूत अ.सा.04 ने आरोपी अशोक पर दिनांक :- 08/11/2015 की सुबह लगभग 07:10 बजे हरीनारायण शर्मा के घर के सामने ग्वालियर रोड़ मालनपुर पर, उसके आधिपत्य के वाहन ट्रौला क्रमांक एम.पी.07/एच.बी./4107 को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर मृतक मलखान सिंह की मृत्यु कारित करने का तथ्य नहीं बताया है। साक्षी मेहरवान सिंह अ.सा.03 एवं सचिन राजपूत अ.सा.04 ने उनके प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 03 में आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि उन्होंने हाजिर अदालत आरोपी को दुर्घटनाकारित करते हुए नहीं देखा था। इस प्रकार साक्षी मेहरवान सिंह अ.सा.03 एवं सचिन राजपूत अ.सा.04 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य का कोई लाभ अभियोजन का प्रदान नहीं किया जा सकता।

10. अभियोजन साक्षी डॉ.धीरज गुप्ता अ.सा.01 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह दिनांक : 08/11/2015 को सीएचसी गोहद में मेडीकल ऑफीसर के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को पुलिस थाना मालनपुर के आरक्षक क्रमांक 900 मान सिंह द्वारा लाये जाने पर मृतक मलखान सिंह पुत्र दंगल सिंह उम्र 45 वर्ष का शव परीक्षण किया था। साक्षी आगे कहता है कि मृतक लगभग 45 वर्ष का था, पोस्टमार्टम रूप में सीधा लेटा हुआ था। मृतक लाल चौखानेदार शर्ट, मटमेली बनियान, भूरा पेंट, नीली चढ़ी एवं काले जूते एवं काले मौजे पहने हुये था एवं रायगर मोटिश अनुपस्थित थी। मृतक के सिर में दाईं तरफ दबी हुई चोट थी, जिससे उसके सिर की हड्डियाँ टूट गई थी एवं ब्रेन मेटर बाहर आ गया था, मृतक के शरीर सिर पर कटा-फटा घाव जो कि दाईं तरफ सिर में था, जिसका आकार 07 गुणत 04 गुणत

02 से.मी. था, जिसमें से ब्रेन मेटर बाहर आ रहा था। मृतक के वक्ष का पोस्टमार्टम करने पर सामान्य पाया गया था, मृतक के हृदय में दाईं तरफ खून भरा हुआ था एवं बाईं तरफ खाली था, मृतक के उदर में पर्दा एवं छिल्ली सामान्य थे, उसके पेट में एवं छोटी आंत में पचा हुआ भोजन एवं गैस थी, बड़ी आंत में मल एवं गैस थी और उदर में सब कुछ सामान्य था। साक्षी आगे कहता है कि मृतक की मृत्यु उसके मतानुसार सिर में आई चोट से कोमा में जाने के कारण हुई थी। मृतक की मृत्यु उसके शव परीक्षण के 0 से 06 घण्टे के भीतर हुई थी। इस वावत् उसके द्वारा तैयार की गई शव परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी.01 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। डॉ.धीरज गुप्ता अ.सा.01 के उक्त न्यायालयीन अभिसाक्ष्य की सारतः पुष्टि उसके द्वारा दी गई शव परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी.01 के तथ्यों से हो रही हैं। डॉ.धीरज गुप्ता अ.सा.01 का न्यायालयीन अभिसाक्ष्य प्रति-परीक्षण उपरांत भी पूर्णतः अखण्डित रहा है और उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य से यह प्रमाणित होता है कि मृतक की मृत्यु उसके शव परीक्षण के 00 से 06 घण्टे के पूर्व सिर में आई चोट से कोमा में जाने के कारण हुई थी।

11. अभियोजन साक्षी रमेश सिंह अ.सा.05 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह दिनांक : 08/11/2015 को पुलिस थाना मालनपुर में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को उसे थाना मालनपुर के अपराध क्रमांक : 183/2015 अन्तर्गत धारा 304 ए भा.द.सं. की एफआईआर विवेचना हेतु प्राप्त हुई थी। उक्त दिनांक को उसके द्वारा मृत्यु जांच में उपस्थित होने का आवेदन पत्र प्र. पी.05 बनाया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही उसके द्वारा नक्शा-मौका लाश प्र.पी.06 तैयार किया गया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी आगे कहता है कि उसके द्वारा फरियादी संजय सिंह की निशानदेही पर घटनास्थल का नक्शा-मौका प्र.पी.03 बनाया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं एवं उक्त दिनांक को ही संजय सिंह के बताये अनुसार उसका कथन लेखबद्ध किया था। साक्षी आगे कहता है कि उसके द्वारा दिनांक : 09/11/2015 को साक्षी दीवान सिंह, मेहरबान सिंह, मोनू एवं गब्बर सिंह उर्फ सचिन के उनके बताये अनुसार कथन लेखबद्ध किये थे तथा दिनांक : 08/11/2015 को आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र.पी.07 बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही उसके द्वारा एक ट्रैला क्रमांक एम.पी. 07/एच.बी./4107 रजिस्ट्रेशन, बीमा, फिटनेश, परमिट एवं चालक का ड्रायविंग लाईसेंस की छायाप्रतियों सहित जब्त कर जब्ती पंचनामा प्र.पी.08 बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी आगे कहता है कि उसके द्वारा सुरेन्द्र सिंह से उसकी हस्तलिपि में प्रमाणीकरण प्र.पी.09 लिया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। तत्पश्चात् विवेचना उपरांत चालान न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था।

12. प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 03 में रमेश अ.सा.05 ने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि साक्षी संजय अ.सा.02 ने उसे इस आशय का कथन नहीं दिया था, कि दुर्घटनाकारित करने वाले वाहन को कौन चला रहा था। साक्षी ने

आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव से इन्कार किया है कि साक्षी मेहरवान अ.सा.03 एवं सचिन अ.सा.04 ने उसे दुर्घटनाकारित करने वाले चालक के रूप में आरोपी अशोक का नाम उनके पुलिस कथन प्र.पी.04 एवं प्र.पी.07 में नहीं बताया था। उल्लेखनीय है कि साक्षी मेहरवान अ.सा.03 एवं सचिन अ.सा.04 ने उनके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में दुर्घटनाकारित करने वाले चालक के रूप में नहीं बताया है। लेकिन उन्होंने उनके पुलिस कथनों प्र.पी.04 एवं प्र.पी.07 में दुर्घटनाकारित करने वाले चालक के रूप में आरोपी अशोक का नाम बताया है और मेहरवान अ.सा.03 एवं सचिन अ.सा.04 का उनके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में यह कहना है कि उन्होंने दुर्घटनाकारित करने वाले चालक के रूप में आरोपी अशोक का नाम नहीं बताया था। इस प्रकार दुर्घटनाकारित करने वाले चालक के रूप में आरोपी अशोक का नाम उनके पुलिस कथन प्र.पी.04 एवं प्र.पी.07 में बताये जाने के संबंध में साक्षी मेहरवान अ.सा.03, सचिन अ.सा.04 एवं विवेचक रमेश अ.सा.05 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य के मध्य गंभीर विरोधाभास है।

13. प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 04 में रमेश अ.सा.05 का कहना है कि उसने सुरेन्द्र सिंह से दुर्घटनाकारित करने वाले वाहन का पंजीकृत स्वामी होने के आधार पर सुरेन्द्र सिंह की हस्तलिपि में प्रमाणीकरण प्र.पी.09 लेखबद्ध कराया था। साक्षी आगे कहता है कि उसने दुर्घटनाकारित करने वाले वाहन क्रमांक एम.पी.07/एच.बी./4107 का रजिस्ट्रेशन देखा था। तत्पश्चात् साक्षी ने स्वतः कहा कि उक्त वाहन की पॉवर ऑफ अटोर्नी प्रमाणीकरण प्र.पी.09 लेखबद्ध कराने वाले सुरेन्द्र सिंह के नाम थी। प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 04 में रमेश अ.सा.05 ने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि उसने उक्त प्रमाणीकरण के साक्षी सुरेन्द्र सिंह यादव से कोई दस्तावेज जप्त नहीं किया। तत्पश्चात् साक्षी ने स्वतः कहा है कि प्रमाणीकरण के साथ अथोरिटी लेटर लिया है। प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 05 में रमेश अ.सा.05 ने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि उक्त अथोरिटी लेटर पर अथोरिटी देने वाले स्वामी के कहीं पर भी हस्ताक्षर नहीं है। साक्षी ने इस सुझाव को भी स्वीकार किया है कि उसने उक्त प्रमाणीकरण के साक्षी सुरेन्द्र सिंह यादव कम्पनी में काम करते हैं, इस वावत् भी कोई नियुक्ति पत्र प्राप्त नहीं किया था। उल्लेखनीय है कि अभियोग पत्र के साथ प्रस्तुत इण्डियन बिल्डिर्स एण्ड कान्ट्रेक्टर्स प्रा.लि. के लेटरहेड पर लिखे गये अथोरिटी लेटर पर निष्पादक डायरेक्टर के कार्बन हस्ताक्षर डायरेक्टर के रूप में अंकित हैं, कोई मूल हस्ताक्षर उक्त लेटर पर अंकित नहीं है। इसलिए यह नहीं माना जा सकता कि उक्त प्रमाणीकरण देने वाले सुरेन्द्र सिंह यादव कथित रूप से दुर्घटनाकारित करने वाले वाहन क्रमांक एम.पी.07/एच.बी./4107 के पंजीकृत स्वामी द्वारा अधिकृत पॉवर ऑफ अटोर्नी होल्डर होने के कारण प्रमाणीकरण प्र.पी.09 प्रदान करने के लिए सक्षम है। कोई पॉवर ऑफ अटोर्नी अभियोग पत्र के साथ प्रस्तुत नहीं की गई। इसलिए उक्त अथोरिटी लेटर का कोई लाभ अभियोजन को प्रदान नहीं किया जा सकता, ना ही उक्त प्रमाणीकरण प्र.पी.09 के आधार पर ऐसी कोई उपधारणा की जा सकती है कि दुर्घटना के समय आरोपी अशोक ही उक्त ट्रैला क्रमांक एम.पी.07/एच.बी./4107 को चला रहा था।

14. प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 05 में रमेश अ.सा.05 का कहना है कि आरोपी अशोक को गिरफ्तार करने के पूर्व आरोपी ने स्वयं दुर्घटनाकारित करना स्वीकार किया था और उसने इसी आधार पर आरोपी अशोक को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र.पी.07 बनाया था। साक्षी ने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि इस वावत् उसने आरोपी का कोई मैमोरेण्डम या कोई अन्य कथन प्रकरण में संलग्न नहीं किया है। वैसे भी पुलिस की उपस्थिति में एवं पुलिसकर्मी से की गई अपराध की संस्वीकृति धारा 25 एवं 26 साक्ष्य अधिनियम के प्रावधान के अनुसार साक्ष्य में ग्राह्य योग्य नहीं होती है और साबित भी नहीं जा सकती। इसलिए आरोपी अशोक द्वारा कथित रूप से विवेचक रमेश अ.सा.05 से की गई अपराध की संस्वीकृति का कोई लाभ अभियोजन को प्रदान नहीं किया जा सकता।

15. उपरोक्त विवेचना के आलोक में न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि अभियोजन संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी अशोक ने दिनांक :- 08 / 11 / 2015 की सुबह लगभग 07:10 बजे हरीनारायण शर्मा के घर के सामने ग्वालियर रोड़ मालनपुर पर, उसके आधिपत्य के वाहन ट्रौला क्रमांक एम.पी. 07 / एच.बी. / 4107 को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर मृतक मलखान सिंह की ऐसी मृत्यु कारित की, जो आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आती है।

अंतिम निष्कर्ष

16. उपरोक्त साक्ष्य विवेचना के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि अभियोजन आरोपी अशोक के विरुद्ध धारा 304 ए भा.द.सं. के आरोप को संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। फलतः आरोपी को धारा 304 ए भा.द.सं. के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

17. आरोपी के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं। जमानतदार को स्वतंत्र किया जाता है।

18. प्रकरण में जब्तशुदा वाहन ट्रौला क्रमांक एम.पी.07 / एच.बी. / 4107 पूर्व से ही उसके पंजीकृत स्वामी सुरेन्द्र सिंह के पास सुपुर्दगी पर है, सुपुर्दगी नामा उन्मोचित किया जाता है। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय का व्ययन संबंधी आदेश प्रभावी होगा।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित।
एवं दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया

(पंकज शर्मा)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद

(पंकज शर्मा)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद